i"BHkfe lc/kh
nLrkost lpuk

Ontario

अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी)
मंत्रालय

15 नवंबर 2006

ekuokf/kdkj Á.kkyh dks etcr cukus ds fy, ÁLrkfor la'kks/ku

मैकगुन्टी (McGuinty) सरकार, बिल 107, मानवाधिकार कोड संशोधन अधिनियम, 2006, जो अप्रैल 2006 में प्रस्तुत किया गया था, में संवर्धन का प्रस्ताव कर रही है। यह कानून, यदि पारित हुआ, तो ओंटेरियो की 40 वर्ष पुरानी मानवाधिकार प्रणाली को आधुनिक और मजबूत बनाएगा, ताकि भेदभाव रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिकायतों को अधिक तेजी और अधिक प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके।

इस प्रस्तावित कानून के अंतर्गत, ओंटेरियो मानवाधिकार आयोग की भूमिका ओंटेरियो में जातिवाद एवं अशक्त लोगों की बाधाओं सहित भेदभाव से योजनाबद्ध ढंग से निपटने के लिए सक्रिय उपायों, जैसे लोक शिक्षा, प्रोत्साहन, लोक वकालत, शोध एवं जांच पर केंद्रित होगी। ओंटेरियो मानवाधिकार अधिकरण में सीधे दाखिल किए जाने योग्य व्यक्तिगत दावों सहित नई शिकायत प्रक्रिया लागू की जाएगी। अधिकरण के सामने हल पाने के इच्छुक लोगों को सहायता एवं अधिकार दोनों के लिए कानूनी एवं सलाहकार सेवाएं एक स्थान पर दी जाएंगी।

बिल में मुख्य प्रस्तावित संशोधनों से उपलब्ध कानूनी सहायता की रेंज बढ़ेगी, आयोग की स्वायत्तता बढ़ेगी, इसके जांच एवं जनहित के अधिकारों को मजबूती मिलेगी और अधिकरण की प्रक्रिया में बेहतर न्यायप्रियता को बढ़ावा मिलेगा।

dkuwuh lgk;rk lsokvksa dh jast c<kus ds fy, ÁLrkfor la'kks/kuksa esa 'kkfey gS%

- विधान में मानवाधिकार कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करना
- स्पष्ट एवं सुनिश्चित करना कि कानूनी सहायता सेवाओं की रेंज, जैसे सूचना, सलाह, सहायता एवं कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जाएगा
- मानवाधिकार कानूनी सहायता केंद्र के लिए लोक निधिकरण का अनुमोदन करना
- प्रावधान बनाना कि प्रदेशभर में जहां कहीं भी जरूरत होगी, सेवा उपलब्ध कराई जाएगी
- प्रावधान बनाना कि अधिकरण में हल पाने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति जो है, रहा या आवेदक हो, सेवाओं का पात्र होगा।

vk;ksx dh Lok;Ùkrk c<kus ds fy, ÁLrkfor la'kks/kuksa esa 'kkfey gS%

- ओंटेरियो के लोगों को सीधे तौर पर आयोग की रिपोर्ट के लिए कानूनी प्रावधान
- सुनिश्चित करना कि पहली बार नियुक्त किए गए आयुक्तों को मानवाधिकारों में विशेषज्ञता प्राप्त करना जरूरी हो
- स्पष्ट करना कि आयोग लोकहित में और जब भी यह किसी कार्य को हाथ में ले तो अपनी विवेकशीलता से स्वतंत्र रूप से काम करे।

vk;ksx ds tkap ,oa tufgr ds vf/kdkjksa dks etcwr djus ds fy, ÁLrkfor la'kks/kuksa esa 'kkfey gS%

- आयोग के अधिकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट करना कि इसके पास किसी मामले में जांच–पड़ताल, दस्तावेजों की जांच, लोगों से प्रश्न पूछने और अपनी जांच में सहयोग के लिए बाध्य करने का अधिकार होगा
- यह स्पष्ट करना कि आयोग को अधिकरण के सामने पेश किसी आवेदन में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा
- मौजूदा शिकायतों पर मौजूदा प्रणाली द्वारा विचार जारी रखने की अनुमति के लिए अस्थायी प्रावधानों का समायोजन करना।

vkVfj;k d ekuokf/kdkj vf/kdj.k e cgrj U;k;fç;rk dk c<kok nus d fy, ÁLrkfor l'kk/kuk e 'kkfey g%

- जरूरी बनाना कि अधिकरण के आचार नियम और प्रक्रियाएं, इसके समक्ष आए मामलों की पात्रता के अनुसार न्यायसंगत, उचित और शीघ्र समाधान आसानी से उपलब्ध कराएं
- अधिकरण के पास आए सभी आवेदन जो समय से आए और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं, के लिए सुनिश्चित करना कि पार्टियों को अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना उन्हें पूर्ण रूप से निपटाया नहीं जाएगा
- बिना सुनवाई के आवेदन निरस्त करने के अधिकरण के अधिकार पर रोक लगाना
- अधिकरण की शुल्क तय और वसूल करने की सामर्थ्य समाप्त करना
- दावा दाखिल करने की समयावधि को छः महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करना
- सुनिश्चित करना कि अधिकरण के निर्णयकर्त्ताओं की मानवाधिकारों में विशेषज्ञता हो।

बिल 107 में इन प्रस्तावित बदलावों के विवरण सहित चार्ट अनुरोध पर उपलब्ध है।

प्रस्तावित मानवाधिकार कोड संशोधन अधिनियम, 2006 का दूसरा वाचन, 6 जून 2006 में किया गया, और अब इसे न्याय नीति की स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

- 30 -

संपर्क सूत्रः
ब्रेनडन क्रॉले (Brendan Crawley)
अटॉर्नी जनरल मंत्रालय (Ministry of the Attorney General)
संचार शाखा (Communication Branch)
(416) 326-2210

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca
सामान्य टेलीफोन पूछताछः 416–326–2220 अथवा 1–800–518–7901

दृष्टिहीन व्यक्ति इस दस्तावेज का मूल पाठ सुनने के लिए
उपरोक्त फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं
टीटीवाईः 416–326–4012

इस दस्तावेज का 14 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।
ये अनुवाद शीघ्र ही www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca पर उपलब्ध होंगे।